न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागरजिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 71 / 2015 (500/2015)
दायर दिनांक : 09 / 09 / 2015
निर्णय दिनांक : 28.06.2022

उनवान

1. श्री भैरूलाल पिता रामा गाड़री निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. श्री रतन पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
2. श्री देवीलाल पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
3. श्री उदेराम पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
4. श्री मिठू पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
5. मु. गटू बेवा भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
6. श्री जीतरिया पिता मेघा भील निवासी अनोपपुरा तहसील भूपालसागर
7. श्री मांगू पिता मेघा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
8. श्री छोगा पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
9. श्री मगनीराम पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
10. श्री शंकर पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
11. श्री नारायण पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
12. श्री रोशन पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
13. मु. राजी बेवा रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
14. श्री भैरू पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
15. श्री उदा पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
16. श्री रोडू पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
17. श्रीमती देऊ पुत्री सोला पत्नी उदा भील निवासी इन्द्रानगर, मुंगाना तहसील कपासन
18. श्री कालू पिता लालू भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
19. मु. इन्द्रा पुत्री भगवान पत्नी काना भील निवासी गुरजानिया तहसील राशमी
20. श्री मांगू उर्फ गागू पिता लालू भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री बालेन्द्र कोठारी

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :–

यह है कि ग्राम कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर में गत पैमाईश की कृषि आराजियात आ.सं. 372 रकबा 5 बिस्वा (आ.चा.), आ.सं. 862 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा स्थित थी [illegible] रिकार्ड में मेघा, सोला, लाला पिता श्री एकलिंग भील निवासी कानाखेड़ा के नाम पर खातेदारी ह[illegible] दर्ज [illegible] और उन्होने उक्त आराजियात जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 10.02.1961 को श्री [illegible] निवासी कानाखेड़ा को 800/ रूपया में विक्रय कर कब्जा सौंप दिया और तब से उक्त आराजियात पर [illegible] का कब्जा था। रामाजी गाड़री की मृत्यु हो गई और उनका एकमात्र वारीस पुत्र वादी श्री भैरूलाल है तथा विक्रेतागण मेघा, सोला, लाल[illegible] की भी मृत्यु हो गई तथा उनके वारिस प्रतिवादीगण हैं, वर्तमान राजस्व [illegible]र्ड में उक्त जमीन प्रतिवा[illegible] नाम पर दर्ज हैं तथा रिकार्ड में भीमा पिता मेघा, रूपा पिता सोला तथा मु. सायरी उर्फ ख्याली बेवा भगवान भील का नाम भी दर्ज है मगर इनकी मृत्यु हो गई है तथा इनके वारिस प्रतिवादी नं. 1 से 5 तक तथा प्रतिवादी नं. 9 से 13 तक व प्रतिवादी नं. 19 हैं, अतः इनको प्रतिवादीगण बनाया है। हाल पैमाईश में उक्त आ.सं. 372 के नये नंबर 629 रकबा 0.06 है. एवं आ.सं. 862 के नये नंबर 1409 रकबा 4.44 हैक्टेर व 1495/128 रकबा 0.50

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.30 12:35:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौडगढ (राज.)

.क्टर बने हैं। वादी के पिता की मृत्यु हो जाने व उस समय वादी की बाल्यावस्था होने से उक्त आराजियात कयशुदा वादी के पिता या वादी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सकी और इसकी जानकारी वादी को समय पर नहीं हो सकी थी। उक्त आराजियात के खातेदार विक्रेतागण भील जाति के थे और क्रेता गाडरी जाति के थे और सन् 1964 में धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में ऐसे अन्तरण को अवैध माना गया है मगर सन् 1964 के पूर्व में किए गए अन्तरण वैध माने गऐ हैं व सन् 1964 के उक्त संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं माना गया है और मौजूदा अंतरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये किया जाकर कब्जा क्रेता को प्रदान किया गया है अतः धारा 42 रा.टि.ए. के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं तथा उक्त अन्तरण पूर्णतया वैधानिक हैं तथा क्रेता (वादी) को पूर्ण खातेदारी अधिकार प्रदान करता है और वादी उक्त आराजियात का खातेदार होकर काबिज है। हाल में प्रतिवादीगण ने जैरबहस आराजियात अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की गरज से वादी के कब्जे में दखलीअन्दाजी करने व उक्त आराजियात को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी, अतः वादी को यह वादपत्र पेश करने की भी आवश्यकता हुई है तथा इस आशय की घोषणा किया जाना आवश्यक हो गया है कि जैरबहस–आराजियात का वादी खातेदार होकर काबिज है तथा मौजूदा रेवेन्यू रिकार्ड में जो प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है वह इन्द्राज गलत होने से दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण वादी के कब्जेकाश्त में दखलअन्दाजी करने तथा जमीन खुर्द–बुर्द करने की धमकी देते हैं अतः उनको जरिये स्थाई–निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है अन्यथा वादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा व उसकी यह जमीन जबरन छीन ली जावेगी तो वादी को भारी असुविधा व क्षति होगी तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी पैदा होगी और इन सबकी क्षतिपूर्ति भी किसी भी तरह से करना संभव नहीं होगा। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजियात वादी के नाम दर्ज कराने तथा दखलअन्दाजी नहीं करने हेतु कहा तो नहीं मानते हैं। अतः बिनाय दावा पैदा हुई है जिसकी शुरूआत दिनांक 20.11.2014 से है तथा निरंतर पैदा हो रही है। अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्धइस आशय की घोषणा किऐ जाने की डिक्री प्रदान की जावे कि ग्राम कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर की आ.सं. 629, 1409, 1495,/1283 वादीके खातेदारी व कब्जेकाश्त की है तथा मौजूदा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज है, अतः उसको हटाया जाकर वादी का नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावे कि वादी के कब्जेकाश्त की उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण कोई दखलअन्दाजी नहीं करें व वादी को इस पर आने–जाने व काश्त करने में कोई बाधा नहीं डाले व फसल व बाड़ को क्षति नहीं पहुंचावे तथा इसक रहन विक्रय या अंतरित नहीं करें व अपने नौकर, एजेन्ट, परिवारजन आदि को भी इस हेतु प्रेरित नहीं करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामील प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 17 व 19 उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 16.11.2017 को इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। प्रतिवादी संख्या 18 व 20 ने इकबाली जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही होने व इकबाली जवाब पेश किया जाने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादी ने शहादत वादी एकतरफा में शपथ पत्र श्री भैरूलाल पी.डब्ल्यू. 1, श्री भूरा पी.डब्ल्यू. 2, श्री खेमा पी.डब्ल्यू. 3 प्रस्तुत किये, जिन्हें दिनांक 19.12.2019 को शामिल पत्रावली किया जाकर रिकार्ड पर लिया गया। वादी द्वारा पेश दस्तावेज दिनांक 05.04.2022 को प्रदर्श किये गये, विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श 1 ए है, असल विक्रय पत्र वादी को लौटाया गया, जो प्रदर्श 1 है, साबिक जमाबंदी प्रदर्श 2 है, हाल जमाबंदी प्रदर्श 3 है, मिलानशीट प्रदर्श 4 है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादीगण के शपथ–पत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। वकील वादी द्वारा RRD 1980 अपील सं. 333/श्रीगंगानगर ऑफ 78 निर्णय दिनांक 26.05.1980 एवं 1964 RRD 342 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, इनका भी अवलोकन एवं मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 में ऐसे विक्रय, दान या वसीयत, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो, या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य न हो, अवैध होने के निर्देश हैं। राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर से ... 2)राज.ख./ग्रुप1/62 दिनांक 05.05.1962 से भी निर्देशित किया है कि राजस्थान ... 1955) की धारा 42 की शर्त (1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ... आसामी, जो अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हो, अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्रों या उसके किसी भाग में, अपने हित का हस्तान्तरण नहीं कर सकता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय सरकार द्वारा निश्चय किया गया है कि उपरोक्त शर्त के उल्लंघन में किये गये भूमि के हस्तान्तरणों/बिक्रियों के संबंध में नामान्तरण स्वीकृत नहीं किये जाने चाहिऐ। वादी ने 54 वर्ष का समय व्यतीत होने के पश्चात स्वयं के नाम भूमि को राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.30 12:35:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

अंकन का वाद संस्थित किया है तथा वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 प्रभावी है, उक्त धारा 42 भूतलक्षी प्रभाव नहीं होने बाबत भी कोई स्पष्ट आदेशिका नहीं है एवं राजस्व विभाग, जयपुर से जारी उक्त परिपत्र दिनांक 05.05.1962 से भी प्रश्नगत बेचान/ अन्तरण को भूतलक्षी नहीं होना स्पष्ट है। वादी द्वारा संस्थित वाद 54 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया जाना भी औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 एवं राजस्व विभाग, जयपुर से जारी उक्त परिपत्र दिनांक 05.05.1962 की रोशनी में वादी का वादपत्र विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाता है, इस आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.30 12:35:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रपत्र –5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 71/2015 (500/2015)
दायर दिनांक :– 09/09/2015
निर्णय दिनांक :– 28/06/2022

उनवान

1. श्री भैरूलाल पिता रामा गाड़री निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. श्री रतन पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
2. श्री देवीलाल पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
3. श्री उदेराम पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
4. श्री मिठू पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
5. मु. गटू बेवा भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
6. श्री जीतरिया पिता मेघा भील निवासी अनोपपुरा तहसील भूपालसागर
7. श्री मांगू पिता मेघा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
8. श्री छोगा पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
9. श्री मगनीराम पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
10. श्री शंकर पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
11. श्री नारायण पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
12. श्री रोशन पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
13. मु. राजी बेवा रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
14. श्री भैरू पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
15. श्री उदा पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
16. श्री रोडू पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
17. श्रीमती देऊ पुत्री सोला पत्नी उदा भील निवासी इन्द्रानगर, मुंगाना तहसील कपासन
18. श्री कालू पिता लालू भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
19. मु. इन्द्रा पुत्री भगवान पत्नी काना भील निवासी गुरजानिया तहसील राशमी
20. श्री मांगू उर्फ गागू पिता लालू भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.30 12:35:27 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] कोठारी की उपस्थिति में इस वाद मे आज दिनांक 28.06.2022 को श्रीमती भावना सिंह (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री

दी जाती है कि – वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के विरूद्ध बेचान का होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	प्लीडर की फीस	–
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस	–	साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	आदेशिका की तामिल	–
6. कमिश्नर की फीस	–	कमिश्नर की फीस	–
7. आदेशिका की तामिल	–		–
जोड	–	जोड	–

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.30 12:35:27 IST
Reason: SelfAttested